



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 1993/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023

रायपुर, दिनांक 31/05/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 30.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	—	सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
5. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
6. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	—	सदस्य
9. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
10. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.05.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.04.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

स्थायी संबद्धता

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i	शासकीय कचरा धुरवा महाविद्यालय, छुरा, जिला-गरियाबंद	बी.ए.- आ.पा., अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, हिंदी साहित्य	2022-23	1. डॉ. व्यास दुबे, सांख्यिकी अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		बी.एस-सी. (बायो) आ.पा., वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र		2. डॉ. आर.के. ब्रह्मे, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		बी.एस-सी. (गणित)- आ.पा., गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकी		3. डॉ. एस.के. प्रसाद, बायोसाइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		बी.काम. सभी अनिवार्य विषय		4. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, प्राचार्य, संत गुरु घासीदास शास. महा. कुरुद
		एम.ए. अंग्रेजी		5. डॉ. राजीव तिवारी, संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर

	पी.जी.डी.सी.ए.	6. डॉ. संजय कुमार कंप्यूटर अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
<p>निरीक्षण तिथि : 20.04.2023</p> <p>01. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – NA</p> <p>02 समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – NA</p> <p>03. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – NA</p> <p>04. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – NA</p> <p>05. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – स्वयं के भवन में संचालित है।</p> <p>06. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – हाँ</p> <p>07. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – हाँ</p> <p>08. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – प्रायोगिक विषय में अतिरिक्त उपकरणों को क्रय किए जाने की आवश्यकता है। कंप्यूटर प्रयोगशाला में 10 कंप्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है।</p> <p>09. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – बी.ए. की कक्षाओं के लिए समाजशास्त्र एवं भूगोल, बी.एस-सी. में वनस्पतिशास्त्र रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं बी.कॉम तथा एम.ए. अंग्रेजी विषयों में एक-एक सहायक प्राध्यापक की नियमित नियुक्ति आवश्यक है। कंप्यूटर विषय के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है।</p> <p>10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – ग्रंथपाल के पद की स्वीकृति एवं पद स्थापना की आवश्यकता है। एम.ए. अंग्रेजी में रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) तथा अन्य स्नातक के विषयों में रु. 25,000-25,000/- मूल्य की पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता है।</p> <p>11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ –</p> <p>(1) महाविद्यालय में स्मार्ट बोर्ड वाई-फाई से सम्बद्ध है, 02 LCD प्रोजेक्टर एवं कंप्यूटर लैब में 18 कंप्यूटर है।</p> <p>(2) महाविद्यालय ने नैक मूल्यांकन दिनांक 24-25 जनवरी 2023 को कराया गया एवं C ग्रेड मिला।</p> <p>12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? –</p> <p>13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – क्रीड़ा अधिकारी के पद की स्वीकृति एवं पदस्थापना की आवश्यकता है।</p> <p>14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – नियमित प्राचार्य की नियुक्ति की आवश्यकता है तथा बिनदु क्रमांक 08, 09, 10 एवं 13 में उल्लेखित कमियों को पूरा करने की आवश्यकता है।</p> <p>पाठ्यक्रम के अनुसार Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।</p>		
<p>निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर स्थायी संबद्धता प्रदान की जाती है तथा उल्लेखित कमियों के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित करने की अनुशंसा की गई।</p>		

04. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठक दिनांक 08.05.2023 के कार्यवृत्त क्रमांक 1963/अका./बैठक/2023, दिनांक 29.05.2023 की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के 18 एक्शन पॉइन्ट जो निम्नलिखित पाँच मुख्य बिन्दु पर केन्द्रित है –

1. **Learner Centric Education**
2. **Digital Learning**
3. **Industry Institute Collaboration**
4. **Academic Research and Internationalisation**
5. **Indian Knowledge System**

उपरोक्त 05 बिन्दुओं से सम्बन्धित 18 एक्शन पॉइन्ट को विश्वविद्यालय स्तर पर क्रियान्वित किए जाने के लिए निम्नानुसार 11 प्रकोष्ठों/केंद्र को निर्मित/स्थापित किए जाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया –

1. उद्योग-अकादमिक सहयोग (Industry-Academia Collaboration)

2. कौशल विकास प्रकोष्ठ (Skill Development Cell)
 3. डिजिटल लर्निंग एवं ऑनलाईन शिक्षा प्रकोष्ठ (Digital Learning and Online Education Cell)
 4. अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (Research & Development Cell)
 5. संस्थान विकास योजना प्रकोष्ठ (Institutional Development Plan (IDP) Cell)
 6. भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ (Indian Language, Culture and Art Cell)
 7. अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रकोष्ठ (International Relation Cell)
 8. दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूह सहायता प्रकोष्ठ (Cell for differently abled students and SEDGs)
 9. मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ (Mentoring and Counselling Cell)
 10. एलुमनी कनेक्ट प्रकोष्ठ (Alumni Connect Cell)
 11. नवाचार एवं इंक्यूबेशन केंद्र (Innovation & Incubation Centre)
05. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2022-23 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महाविद्यालय, महासमुंद (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23)
2	बुढ़ान शाह जी शास. महा. तेंदुकोना, जिला-महासमुंद (2020-21 एवं 2021-22)


निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. नानकचंद रमेशचंद्र अग्रवाल कला, वाणिज्य महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर के सम्बद्धता वापसी के अनुरोध पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 22.05.2017 के माध्यम से संचालन समिति द्वारा सत्र 2017-18 से महाविद्यालय बंद करने की अनुमति मांगी है। पत्र के सापेक्ष महाविद्यालय की संबद्धता वापस लिए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: परीक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार महाविद्यालय में सत्र 2017-18 से 2022-23 तक छात्रों का प्रवेश निरंक है। महाविद्यालय द्वारा उक्त अवधि में प्रतिवर्ष के क्रम में सम्बद्धता शुल्क भी जमा नहीं किया जा रहा है। उक्त स्थिति के सापेक्ष समिति ने महाविद्यालय की सम्बद्धता वापस लिए जाने की अनुशंसा की एवं कार्यपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात् शासन को महाविद्यालय बंद करने हेतु पत्र प्रेषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 1994 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 31 / 05 / 2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)